

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आ दे श //

भोपाल, दिनांक 01/09/2017

क्रमांक एफ-5(ए)/8/2016/ई/चार, राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य लोक सेवा परीक्षा, 2013 की संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश वित्त सेवा (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान) में नियुक्ति के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रतीक्षा सूची से निम्नलिखित उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से **दो वर्ष की परिवीक्षा** पर निम्नांकित शर्तों पर मध्यप्रदेश वित्त सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 15600-39100 ग्रेड-पे 5400 तथा उस पर समय-समय पर देय भत्तों के आधार पर नियुक्त किया जाकर कार्यालय संचालनालय, कोष एवं लेखा भोपाल में पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रतीक्षा सूची का क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	भर्ती की श्रेणी (सीट)	वर्तमान डाक का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	01	अर्चना त्रिपाठी	अनारक्षित/महिला	बंगला नं.10, म.नं. 21 टाईप केन्द्र सरकार आवासीय परिसर ए.बी.रोड, इंदौर (म.प्र.) पिन 452001
02.	02	हेमलता शर्मा	अनारक्षित/महिला	11-ए, क्लासिक मेशन फ्लेट नं. 104, राजेन्द्र नगर इंदौर (म.प्र.) पिन 452012
03.	04	वीणा आडवानी	अनारक्षित/महिला	ई/5, पंजाबी बाग आइडियल स्कूल के पास रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.) पिन 462023
04.	05	श्री देवेन्द्र शर्मा	अनारक्षित	श्री देवेन्द्र शर्मा श्री दाऊलाल भावसार 287, ऊषा नगर एक्सटेंशन रणजीत हनुमान इंदौर (म.प्र.)
05.	06	कु.नीतू गुप्ता	अनारक्षित/महिला	पत्नि श्री अनिल गुप्ता, एमआईजी-10, हाऊसिंग कालोनी माधव नगर गेट के पास कटनी (म.प्र.)

2/- यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं एवं जाति प्रमाण पत्र वैध नहीं पाया जाता है तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी। यदि किसी उम्मीदवार का चयन अस्थाई जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ है तो उसे अधिकतम 6 माह के अन्दर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

3/- उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में ऐसा प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम ग्रहण करना होगा तथा ऐसी विभागीय परीक्षा अपेक्षित स्तर से उत्तीर्ण करना होगी, जो शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

4/- दो वर्ष की उक्त परिवीक्षा की अवधि में आपका कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक न पाये जाने या विहित विभागीय परीक्षा अपेक्षित स्तर से उत्तीर्ण न करने या अन्य कारणों से, राज्य शासन, आपकी परिवीक्षावधि में 01 वर्ष आगे और वृद्धि कर सकेगा या आपकी सेवायें समाप्त कर सकेगा।

5/- चयन सूची में सभी उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी हो जाने के पश्चात लोक सेवा आयोग की चयन सूची के आधार पर ही वरिष्ठता निर्धारित रहेंगी।

6/- उपरोक्तानुसार नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश वित्त सेवा (भरती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1965 (समय-समय पर संशोधित) एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत शासित होंगे।

7/- राज्य शासन द्वारा राज्य शासन के आधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अशंदात पेंशन प्रणाली लागू की गई। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे निवृत्त शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जायें और उन्हें लागू किया जाये, के अधीन रहेंगे।

8/- उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उनको परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उक्त पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय शामिल होंगे, की वापसी के लिये उत्तरदायी रहेंगे। बॉण्ड का प्रारूप संलग्न है। इसकी पूर्ति कर इसे संचालनालय, कोष एवं लेखा को प्रस्तुत करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार-

(अनिरुद्ध मुकुर्मी)

- प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल दिनांक 01/09/2017

पृ.क्रमांक एफ-5(ए)/8/2016/ई/चार,

प्रतिलिपि :-

1. माननीय वित्त मंत्रीजी के निज सचिव,
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त के निज सचिव,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, माहिला एवं बाल विकास/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक/वाणिज्यिक कर/जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय,
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त के निज सहायक
5. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर की ओर पत्र क्रमांक 98/83/2016/चयन, दिनांक 14.12.2016 एवं 5421/05/2016/चयन, दिनांक 3.7.2017 के संदर्भ में सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।
6. आयुक्त कोष एवं लेखा की ओर अर्पित कर अनुरोध है कि लोक सेवा आयोग से अनुशंसित प्रतीक्षा सूची अनुसार अभ्यार्थियों से चरित्र सत्यापन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी-3/15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर, 2012 अनुसार शपथ-पत्र प्राप्त किये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाये। इसके साथ ही :-

अ- चयनित उम्मीदवारों से कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व बॉण्ड को पूरा कराकर रिवाइंड में रखें।

ब- नियुक्ति आदेश की प्रति भेजकर निवेदन है कि एक प्रति संबंधित अधिकारियों की सेवा-पुस्तिका में संलग्न की जाये।

स- कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराये।

द- चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।

ई- आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में जाति संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर इसकी पुष्टि संबंधित जिले के कलेक्टर से कराकर अभिलेख में सुरक्षित रखें।

7. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल,

8. प्रशासनिक अधिकारी, आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी, शाहपुरा भोपाल।

9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा/संभागीय पेंशन अधिकारी।


10. समस्त जिला कोषालय अधिकारी/जिला पेंशन अधिकारी।

11. श्री/श्रीमती/कु,-----

की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में अपनी उपस्थिति दिनांक **19.9.2017** तक आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल पर्यावास भवन पंचम तल, अरेरा हिल्स में देते हुए कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

12. गाड़ फाइल।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

MURKAS, I.....

s/o.....R/O.....

probationer in the State Finance Service
(Here in after referred to as the probationer) being
entitled to receive from the Governor (Hereinafter)
referred to as the State Government) Pay and allowances
during the period in which I am under probation .

Now, We, the probationer

S/O.....R/O.....

and Shri.....(surety) s/.....

R/O.....(hereinafter referred to as

surety) jointly and severally, do hereby promise and
agree in the event of the failure of the probationer to
complete probation to the satisfaction of the State
Government to refund to the State Government on demand
any money paid to him during his probation period
including the pay and travelling expenses to join
appointment.

The surety hereby agrees that his liability
hereunder shall not be effected by the State Govern-
ment extending the period of probation or giving the
probationer an extension of time for payment of or
compounding the amount hereunder-

"Stamp duty payable on this bond shall be
borne and paid by the Government."

.....

19

Dated this.....day of.....199..

Signature of probationer.....

Full Name

Signed by probationer in the presence of

Name of Witness

&
Signature.....

Address.....

Occupation.....

Name and signature of the surety.


Signed by surety in the presance of;

Name of Witness & Signature.....

Address.....

Occupation.....

:: शपथ पत्र ::



मैं आयु पुत्र/पुत्री/पत्नि
निवासी शपथपूर्वक कथन करता/करती

हूँ-

1. यह मेरा चयन पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैंने भरती प्रक्रिया में जो भी जानकारियां दी हैं एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य हैं।



8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियां दी गई हैं और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, यदि उनमें कोई भी जानकारी/दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे रवीकार एवं मान्य होगा।
9. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की कड़िका क्रमांक 1 लगायत 9 में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान में एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं, जिनका सत्यापन आज दिनांक को में किया गया है।

शपथग्रहिता

